राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या – 92/2005/भरतपुर.

मैसर्स हलधर ग्रामोद्योग समिति, अग्रवाली (कामां). .....अपीलार्थी.

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत–'ए', भरतपुर. .....प्रत्यर्थी.

2. अपील संख्या – 93/2005/भरतपुर.

मैसर्स श्रीकृष्णा ग्रामोद्योग विकास समिति, अग्रवाली (कामां). .....अपीलार्थी.

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत–'ए', भरतपुर. .....प्रत्यर्थी.

3. अपील संख्या – 94/2005/भरतपुर.

मैसर्स सोम ग्रिट उद्योग, फतेहपुर, (कामां). .....अपीलार्थी.

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत–'ए', भरतपुर. .....प्रत्यर्थी.

4. अपील संख्या – 95/2005/भरतपुर.

मैसर्स श्री भोले बाबा ग्रामोद्योग विकास समिति, फतेहपुर (कामां). .....अपीलार्थी.

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत–'ए', भरतपुर. .....प्रत्यर्थी.

5. अपील संख्या – 96/2005/भरतपुर.

मैसर्स श्री गणेश ग्रामोद्योग विकास समिति, फतेहपुर (कामां). .....अपीलार्थी.

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत–'ए', भरतपुर. .....प्रत्यर्थी.

6. अपील संख्या – 97/2005/भरतपुर.

मैसर्स श्री जी ग्रामोद्योग समिति, ग्राम कामां. .....अपीलार्थी.

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत–'ए', भरतपुर. .....प्रत्यर्थी.

7. अपील संख्या – 98/2005/भरतपुर.

मैसर्स वीरेन्द्र ग्रिट उद्योग समिति, अग्रवाली (कामां). .....अपीलार्थी.

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत–'ए', भरतपुर. .....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री के. एल. जैन, सदस्य

उपस्थित : :

श्री अशोक अग्रवाल, अभिभाषक .....अपीलार्थीगण की ओर से.

श्री डी. पी. ओझा,
उप–राजकीय अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 28/11/2016

निर्णय

1. उक्त प्रकरणों में माननीय राजस्थान कर बोर्ड की एकलपीठ द्वारा दिनांक 24.09.2005 को निर्णय किया जाकर उक्त अपीलार्थीगण की अपीलें खारिज की गयी थी। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलार्थीगण द्वारा केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 (जिसे आगे **'केन्द्रीय अधिनियम'** कहा जायेगा) सपठित राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे **'अधिनियम'** कहा जायेगा)

लगातार.....2

की धारा 37 के तहत संशोधित किये जाने हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किये जाने पर माननीय कर बोर्ड की एकलपीठ द्वारा दिनांक 04.01.2007 को यह आदेश किये गये कि उक्त निर्णयों से पूर्व जो कर बोर्ड के समक्ष जो आधार दिये गये थे, उन पर पूर्ण विवेचना नहीं होने से संशोधन योग्य मानते हुए पुनः सुनवाई किये जाने के आदेश दिये गये थे। अतः उसी क्रम में अपीलार्थीगण की अपीलों पर पूर्व में दिये गये निर्णय में संशोधन हेतु प्रस्तुत परिशोधन प्रार्थना–पत्रों पर पुनः सुनवाई की गई।

2. इन सभी अपीलों में विवाद का बिन्दु समान होने से सभी प्रकरणों का निस्तारण एक ही संयुक्तादेश से किया जाकर निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक–पृथक रखी जा रही है।

3. माननीय राजस्थान कर बोर्ड के समक्ष उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, भरतपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) के आदेश दिनांक 28.12.2004 के विरूद्ध जो अपीलें पेश की गयी थी, उसमें मूल बिन्दु यह था कि अपीलार्थीगण को अन्तर्राज्यीय विक्रय पर पूर्व में जो करमुक्ति प्रमाण–पत्र जारी किये गये थे, उन्हें कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 37 के तहत संशोधन कर निरस्त किया जाना त्रुटिपूर्ण था।

4. कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 37 के तहत निरस्त किये जाने के निर्णय को अपीलीय अधिकारी के समक्ष विवादित किये जाने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा विस्तृत एवं पूर्ण विवेचना के साथ यह निर्णय दिया गया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा करमुक्ति प्रमाण–पत्रों को निरस्त किया जाना विधिसम्मत था एवं कर निर्धारण आदेश यथावत रखे गये थे।

5. अपीलीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध माननीय कर बोर्ड में अपीलें प्रस्तुत किये जाने पर माननीय कर बोर्ड की एकलपीठ द्वारा पूर्ण सुनवाई के पश्चात् पूर्ण विवेचना करते हुए दिनांक 24.09.2005 को आदेश पारित करते हुए अपीलार्थीगण की अपीलें खारिज कर दी गयी थी। माननीय कर बोर्ड की एकलपीठ द्वारा पारित किये गये आदेश दिनांक 24.09.2005 को यहां उद्धरित किया जाना समीचीन होगा, जो निम्न प्रकार है :–

> "प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी व्यवहारीगण खादी एवं ग्रामोद्योग कमीशन, राजस्थान जयपुर द्वारा स्टोन ग्रिट व डस्ट के निर्माण हेतु पंजीकृत समितियां हैं। समितियों ने वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त–ए, भरतपुर को पृथक–पृथक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर, कर मुक्ति प्रमाण पत्र जारी किये जाने का निवेदन किया। वाणिज्यिक कर अधिकारी ने राज.बि.क.अ. के अन्तर्गत फॉर्म एस टी 2 पर तथा के.बि.क.अ. में छूट हेतु प्रपत्र सी.एस.टी. 8 पर कर मुक्ति प्रमाण

लगातार.....3

पत्र जारी कर दिये। इन प्रमाण पत्रों के आधार पर समितियों द्वारा राज्य के अन्दर की जाने वाली बिक्री एवं अन्तर्राज्जीय बिक्री दोनों पर कर मुक्ति का लाभ लेना प्रारम्भ कर दिया गया। कुछ समय पश्चात् यह ज्ञात होने पर कि के.बि.क.अ. के अन्तर्गत उपरोक्त समितियां गिट्टी की अन्तर्राज्जीय बिक्री पर लाभ लेने की पात्र नहीं हैं, वाणिज्यिक कर अधिकारी ने के.बि.क.अ. के अन्तर्गत जारी किये गये कर मुक्ति प्रमाण पत्रों में संशोधन किये जाने हेतु राज.बि.क.अ. की धारा–37 सपठित धारा–9 के.बि.क.अ. के अन्तर्गत नोटिस जारी किये तथा बाद सुनवाई के.बि.क.अ. के अन्तर्गत जारी किये गये प्रमाण पत्रों को निरस्त कर दिया। कर निर्धारण अधिकारी के आदेश के विरूद्ध व्यवहारियों द्वारा प्रस्तुत अपीलें भी विद्वान उपायुक्त अपील्स ने खारिज कर दी। विद्वान उपायुक्त अपील्स के इसी आदेश के विरूद्ध ये अपीलें व्यवहारीगण द्वारा प्रस्तुत की गई हैं।

बहस सुनी गई। अपीलार्थीगण के अधिकृत प्रतिनिधि ने तर्क किया कि अधिसूचना दिनांक 6.3.1978 से खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा प्रमाणित समिति के उत्पादों को बिक्री कर से छूट दी गई थी, जो प्रारम्भ में रूपये 30,00,000/– की सीमा तक थी, जिसे समय–समय पर बढ़ाकर वर्तमान में रूपये 2,00,00,000/– तक कर दिया गया हैं। अपीलार्थी व्यवहारीगण द्वारा कर मुक्ति प्रमाण पत्र चाहने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये, जिस पर सुविचारित निर्णय कर वाणिज्यिक कर अधिकारी ने अलग–अलग तिथियों में राज.बि.क.अ. व के.बि.क.अ. के अन्तर्गत कर मुक्ति प्रमाण पत्र जारी कर दिये। इसके बाद दिनांक 23.10.2004 को कर निर्धारण अधिकारी ने कानूनी भूल हो जाने के आधार पर के.बि.क.अ. के अन्तर्गत जारी कर मुक्ति प्रमाण पत्रों को निरस्त करने हेतु नोटिस जारी किया। उनका तर्क है कि क्योंकि प्रमाण पत्र कर निर्धारण अधिकारी द्वारा सुविचारित निर्णय किये जाने के पश्चात् ही जारी किये गये थे, धारा–37 राज.बि.क.अ., 1994 के अन्तर्गत इन्हें संशोधित नहीं किया जा सकता। उनका कथन यह भी है कि यदि कर मुक्ति प्रमाण पत्र निरस्त किया जाता है तो वह नियम 14 राज.बि.क. नियम, 1995 के अन्तर्गत ही किया जा सकता है, परन्तु जारी प्रमाण पत्र निरस्त उसी स्थिति में किया जा सकता है, जब किसी धोखाधड़ी या शर्तों के उल्लंघन या गलत तथ्य बताने का प्रमाण सामने आये। इस प्रकार प्रमाण पत्र निरस्त करने का आदेश नियम 14 के अन्तर्गत भी नहीं दिया जा सकता। यदि इन जारी प्रमाण पत्रों को निरस्त ही करना था तो केवल धारा–87 राज.बि.क.अ. 1994 के अन्तर्गत आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा कर निर्धारण आदेश को रिवाइज करके ही किया जा सकता है। उनकी प्रार्थना है कि अपीलें स्वीकार की जाकर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित संशोधन आदेश व उपायुक्त अपील्स के आदेश निरस्त किये जायें।

लगातार.....4

प्रत्यर्थी की ओर से उप—राजकीय अधिवक्ता ने कर निर्धारण अधिकारी एवं विद्वान उपायुक्त अपील्स के आदेशों का समर्थन किया तथा तर्क किया कि अधिसूचना दिनांक 6.3.1978 के अन्तर्गत व्यवहारी द्वारा उत्पादित वस्तुएं नहीं आती तथा बाद की अधिसूचना दिनांक 27.3.1995 और 22.5.2003 केवल राज.बि.क.अ. के अन्तर्गत जारी अधिसूचनायें हैं। अतः के.बि.क.अ. के तहत् कर मुक्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाना एक कानूनी भूल थी, जिसे कर निर्धारण अधिकारी द्वारा धारा—37 राज.बि.क.अ., 1994 के अन्तर्गत संशोधित किया जा सकता है। उनकी प्रार्थना है कि व्यवहारीगण की अपीलें खारिज की जायें।

हमने बहस पर मनन किया तथा पत्रावलियों का अवलोकन किया। पत्रावलियों के अवलोकन से प्रकट होता है कि सभी अपीलार्थी समितियां राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग कमीशन, राजस्थान, जयपुर द्वारा पंजीकृत समितियां हैं, जिनका पंजीयन स्टोन ग्रिट व डस्ट के निर्माण हेतु किया गया है। समितियों ने वाणिज्यिक कर अधिकारी को अधिसूचना 78—6 दिनांक 6.3.1978 तथा 95—54 दिनांक 27.3.1995 का हवाला देते हुए कर मुक्ति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु आवेदन किया। जो प्रमाण पत्र वाणिज्यिक कर अधिकारी ने रा.बि.क.अ. के अन्तर्गत जारी किये, उनमें तो अधिसूचना क्रमांकः 95—54 दिनांक 27.3.1995 का हवाला दिया गया है, परन्तु के.बि.क.अ. के अन्तर्गत जारी किये गये प्रमाण पत्रों में किसी अधिसूचना का कोई हवाला अंकित नहीं किया गया। यदि यह मान भी लिया जाये कि के.बि.क.अ. के अन्तर्गत जारी कर मुक्ति प्रमाण पत्र अधिसूचना दिनांक 6.3.1978 के अन्तर्गत थे तो इन्हें जारी करने में की गई कानूनी त्रुटि स्पष्ट है, क्योंकि अधिसूचना दिनांक 6.3.1978 के अन्तर्गत स्टोन ग्रिट, डस्ट व सेन्ड स्टोन अन्तर्राज्जीय बिक्री हेतु कर छूट हेतु उल्लेखित सूची में सम्मिलित नहीं थे। इन कर मुक्ति प्रमाण पत्रों को अधिसूचना दिनांक 27.3.1995 के अन्तर्गत जारी किये गये प्रमाण पत्र भी नहीं माने जा सकते, क्योंकि अधिसूचना दिनांक 27.3.1995 केवल राज.बि.क.अ. के अन्तर्गत जारी की गई थी, जिसका लाभ के.बि.क.अ. के अन्तर्गत नहीं नहीं दिया जा सकता। अतः वाणिज्यिक कर अधिकारी ने के.बि.क.अ. के अन्तर्गत कर मुक्ति प्रमाण पत्र जारी करने में विधिक भूल की थी। प्रश्न यह उठता है कि क्या इस त्रुटि को धारा—37 के अन्तर्गत संशाधित किया जा सकता है। अपीलार्थीगण के अधिकृत प्रतिनिधि का तर्क है कि धारा—37 के अन्तर्गत केवल रिकॉर्ड पर पायी गई किसी भूल को ही संशोधित किया जा सकता है। जबकि वैधानिक स्थिति यह है कि धारा—37 के अन्तर्गत विधिक या तथ्यों की भूल को भी संशोधित किया जा सकता है। ऐसी परिस्थिति में बिना किसी विधिक आधार के जारी कर मुक्ति प्रमाण पत्रों को संशोधित कर निरस्त करने में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कोई भूल नहीं की गई है। यदि अपीलार्थीगण के अधिकृत प्रतिनिधि का यह तर्क

लगातार.....5

भी मान लिया जाये कि यह निरस्ती नियम 14 राज.बि.क. नियम, 1995 के अन्तर्गत की गई है तब भी इस आधार पर यह उचित पाया जाता है कि जारी प्रमाण पत्र का निरस्तीकरण इस आधार पर भी किया जा सकता है कि नियमों या अधिसूचनाओं में अंकित किसी शर्त की या तो पालना नहीं की गई हो या उसका उल्लंघन किया गया हो। नियम 14 निम्न प्रकार है :—

"14. Cancellation of certificate of exemption.-

The assessing authority may, after giving the dealer a reasonable opportunity of being heard, cancel such certificate of exemption where it has been obtained by misrepresentation or fraud or any of the conditions laid down in the rules or the notification or specified therein has not been complied with or has been violated."

इस प्रकरण में स्पष्टतः विधिक स्थिति यह थी कि के.बि.क.अ. के अन्तर्गत कर मुक्ति प्रदान नहीं की जा सकती थी। अतः नियम 14 के अन्तर्गत गलती से जारी प्रमाण पत्र को निरस्त किया जा सकता था। ऐसी स्थिति में वाणिज्यिक कर अधिकारी द्वारा धारा—37 राज.बि.क.अ., 1994 एवं नियम 14 राज.बि.क.नियम, 1995 के अन्तर्गत पूर्व में त्रुटिपूर्वक के.बि.क.अ. के अन्तर्गत जारी कर मुक्ति प्रमाण पत्रों को अपने आदेश को संशोधित कर निरस्त करने में कोई त्रुटि किया जाना प्रकट नहीं होता। विद्वान उपायुक्त अपील्स ने भी इन आदेशों की पुष्टि कर उचित आदेश पारित किया है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत सभी अपीलें खारिज की जाने योग्य पायी जाती है।

अतः सभी अपीलें खारिज की जाती है।''

6. माननीय कर बोर्ड के उपरोक्त उद्धरित निर्णय दिनांक 24.09.2005 के विरूद्ध अपीलार्थियों की ओर से संशोधन प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत किये गये थे, उन्हें दिनांक 04.01.2007 के जरिये स्वीकार करते हुए उक्त आदेश दिनांक 24.09.2005 में पुनः विवेचना कर आदेश पारित किया जाना निर्णीत किया गया था अतः अपीलार्थीगण के आवेदन—पत्रों पर पुनः विचार किया गया।

7. अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन—पत्रों में निम्न बिन्दु उठाये गये हैं :—

(A) यह कि माननीय कर बोर्ड द्वारा करमुक्ति प्रमाण—पत्र जारी करने सम्बन्धी अधिसूचनाओं के लागू होने सम्बन्धी कोई निर्णय नहीं दिया गया है, एवं

(B) यह भी आपत्ति की गयी है कि अपीलार्थी केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 (जिसे आगे **'केन्द्रीय अधिनियम'** कहा जायेगा) के तहत करमुक्ति प्रमाण—पत्र प्राप्त करने के लिये अधिकृत था एवं अपीलार्थीगण द्वारा माननीय

लगातार.....6

कर बोर्ड के समक्ष माननीय कर बोर्ड के निर्णय का दृष्टान्त **2003 (2) आर.टी. आर. 633 वाणिज्यिक कर अधिकारी, वर्क्स एण्ड लीजिंग टैक्स—प्रथम, जयपुर बनाम मैसर्स पैनार इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, हैदराबाद** प्रस्तुत किया गया था, जो कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष भी प्रस्तुत किया गया था, एवं बाध्यकारी निर्णय था, परन्तु उसको नहीं मानते हुए जो आदेश पारित किया गया है वह त्रुटिपूर्ण होने से संशोधन योग्य है।

8. अपीलार्थीगण की ओर से विद्वान अभिभाषक द्वारा बहस करते हुए कथन किया गया कि कर निर्धारण अधिकारी को अधिनियम की धारा 37 के तहत पूर्व में जारी आदेश को संशोधन करने का कोई अधिकार नहीं था, क्योंकि करमुक्ति प्रमाण—पत्र जारी करने में पूर्व में रेकॉर्ड में कोई भूल नहीं थी, बल्कि जो करमुक्ति प्रमाण—पत्र जारी किये गये थे, वे विधिसम्मत थे एवं अपीलार्थीगण को करमुक्ति प्रमाण—पत्र राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ.4(11)एफडी ग्रुप—IV/95—54 दिनांक 27.03.1995 एवं पुनः संशोधित अधिसूचना क्रमांक एफ.4(38)एफडी/टैक्स डिवी./2000—44 दिनांक 22.05.2003 के तहत जारी किये गये थे, जो कि अधिनियम एवं केन्द्रीय अधिनियम की धारा 8(2)(ए) / 8(2)(सी) के तहत जारी होने से वे अपीलार्थीगण करमुक्ति प्रमाण—पत्र के हकदार हैं, क्योंकि इन दोनों ही अधिसूचनाओं में कुछ किस्म की वस्तुओं को अपवादस्वरूप रखते हुए खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, 1956 (के.वी. आई.सी.) के तहत पंजीकृत इकाईयों को करमुक्ति दिये जाने के आदेश किये हुए थे। चूंकि अपीलार्थीगण की वस्तुएं स्टोन ग्रिट एवं डस्ट राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ.4(56)एफडी ग्रुप—IV/82—6 दिनांक 16.08.1983 एवं उक्त अधिसूचना दिनांक 27.03.1995 व 22.05.2003 के तहत करमुक्ति की पात्रता रखती थी, अतः कर निर्धारण अधिकारी द्वारा विधिक रूप से करमुक्ति प्रमाण—पत्र जारी किये गये थे।

9. विद्वान अभिभाषक ने यह भी कथन किया कि अपीलार्थीगण को जारी करमुक्ति प्रमाण—पत्रों को निरस्त किये जाने हेतु धारा 37 के तहत जो कार्यवाही प्रारम्भ की जाकर दिनांक 05.11.2004 के आदेश के जरिये निरस्तीकरण किया गया था, वह पूर्णतया विधिविरूद्ध था।

10. विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की जाने पर यह आधार लिया गया था कि कर निर्धारण अधिकारी को धारा 37 के तहत उस सीमा तक संशोधन करने के अधिकार प्राप्त थे, जब कोई त्रुटि रेकॉर्ड पर परिलक्षित हो, जबकि अपीलार्थीगण

लगातार.....7

को जारी प्रमाण–पत्रों को तथ्यों की जांच के पश्चात् जारी किये गये थे, जिनमें कोई परिलक्षित भूल नहीं थी। ऐसी स्थिति में परिशोधन नहीं किया जा सकता, परन्तु अपीलीय अधिकारी ने विधिक भूल करते हुए कर निर्धारण अधिकारी के आदेश को यथावत रखा था।

11. विद्वान अभिभाषक ने यह भी कथन किया कि अधिनियम के लिये विहित नियम 14 में किसी प्रमाण–पत्र को निरस्त किये जाने के प्रावधान किये हुए हैं, ऐसी स्थिति में धारा 37 के प्रावधान लागू नहीं हो सकते। अतः धारा 37 में किया गया आदेश अपास्तनीय है। यह भी कथन किया कि नियम 14 के तहत अपीलार्थीगण को कोई सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया था, जबकि नियम 14 तभी लागू होता है, जब कोई प्रमाण–पत्र Fraud/Misrepresentation कर प्राप्त किया गया हो, जबकि अपीलार्थीगण द्वारा कोई भी ऐसा कृत्य नहीं किया गया, जिसके प्रकाश में नियम 14 के तहत कोई प्रमाण–पत्र निरस्त किया जा सके। अतः बिना क्षेत्राधिकार के करमुक्ति प्रमाण–पत्र को निरस्त किये जाने सम्बन्धी आदेश अविधिक है। यह भी कथन किया कि अपीलीय अधिकारी ने यह गलत रूप से अवधारित किया है कि अपीलार्थीगण को Misrepresentation से प्रमाण–पत्र प्राप्त किये गये थे। विद्वान अभिभाषक द्वारा यह कथन किया गया कि दोनों ही अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा विधिक स्थिति को समझे बिना कि अपीलार्थीगण द्वारा उत्पादित माल राज्य के भीतर एवं अन्तर्राज्यीय विक्रय से करमुक्त था, आदेश पारित किया गया है।

12. विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि दोनों अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा जो उनके द्वारा न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये गये थे, उनकी पालना नहीं की गई थी।

13. विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान पुनः माननीय कर बोर्ड के न्यायिक दृष्टान्त **2003 (2) आर.टी.आर. 633 वाणिज्यिक कर अधिकारी, वर्क्स एण्ड लीजिंग टैक्स–प्रथम, जयपुर बनाम मैसर्स पैनार इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, हैदराबाद** का दृष्टान्त प्रस्तुत किया।

14. उक्त आधार पर कर निर्धारण अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी के आदेश अपास्त किये जाने का निवेदन किया।

15. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने दोनों अधीनस्थ अधिकारियों के आदेशों का समर्थन करते हुए अपीलार्थीगण की अपीलें अस्वीकार किये जाने पर बल दिया।

लगातार.....8

16. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावलियों एवं उद्धरित अधिसूचनाओं का अवलोकन किया गया। उद्धरित न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अध्ययन किया गया।

17. रेकॉर्ड के अवलोकन के पश्चात् पुनः तथ्यों को वर्णित करना उचित होगा, जो निम्न प्रकार है :–

यह कि समस्त अपीलार्थीगण को अधिनियम एवं केन्द्रीय अधिनियम के तहत जारी अधिसूचनाओं के तहत करमुक्ति प्रमाण–पत्र जारी किये गये थे, जिसमें इनके द्वारा निर्मित उत्पाद स्टोन ग्रिट एवं डस्ट को Village Industries as defined in Khadi Village Industries Act, 1956 / Act 1987 के तहत पंजीकृत होने से करमुक्ति का पात्र मानते हुए राज्य के भीतर करमुक्ति हेतु एवं अन्तर्राज्यीय विक्रय में भी करमुक्ति हेतु अलग–अलग करमुक्ति प्रमाण–पत्र जारी किये गये थे। इन करमुक्ति प्रमाण–पत्रों की जांच पर कर निर्धारण अधिकारी ने यह पाया कि अधिनियम की धारा 4(2) के तहत प्रथम अधिसूचना क्रमांक एफ.4(21)एफडी गुप–IV/78–2 दिनांक 06.03.1978 एवं केन्द्रीय अधिनियम की धारा 8(5) के तहत जारी अधिसूचना क्रमांक एफ.4(21)एफडी गुप–IV/78–6 दिनांक 06.03.1978 जारी की गयी थी, उसके तहत उन व्यवहारियों को करमुक्ति प्राप्त करने का अधिकार थ, जो उन दोनों ही अधिसूचनाओं में अंकित वस्तुओं एवं शर्तों के अधीन पात्रता रखती थी। कर निर्धारण अधिकारी ने यह पाया कि अपीलार्थीगण को राज्य के भीतर विक्रय हेतु जारी अधिसूचना दिनांक 06.03.1978 यथा संशोधित अधिसूचना दिनांक 06.08.1983, 27.03.1995 तथा दिनांक 22.05.2003 के तहत करमुक्ति प्रमाण–पत्र जारी किये जा सकते थे, परन्तु केन्द्रीय अधिनियम की धारा 8(5) के तहत जारी अधिसूचना क्रमांक एफ.4(21)एफडी गुप–IV/78–6 दिनांक 06.03.1978 के तहत पात्रता नहीं होने से करमुक्ति का प्रमाण–पत्र जारी नहीं किया जा सकता था, परन्तु गलती से अपीलार्थीगण को ऐसे प्रमाण–पत्र जारी कर दिये गये हैं, जिन्हें संशोधित आदेश के जरिये निरस्त किये जाने योग्य होने से सुनवाई के पश्चात् कर निर्धारण अधिकारी के आदेश दिनांक 05.11.2004 के द्वारा निरस्त कर दिये गये। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलें की जाने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के आदेशों की पुष्टि की गई एवं उस आदेश के विरूद्ध अपील की जाने पर माननीय कर बोर्ड के उक्त आदेश दिनांक 24.09.2005 से भी पुष्टि की गयी है, जिसमें यह अवधारित किया गया कि अपीलार्थीगण के अन्तर्राज्यीय विक्रय के लिये करमुक्ति प्राप्त किये जाने की

लगातार.....9

कोई अधिसूचना नहीं होने के बावजूद भी उनके हक में जो प्रमाण–पत्र जारी किये गये थे, वे विधि एवं तथ्यों की भूल थी, ऐसी स्थिति में अधिनियम की धारा 37 के तहत परिशोधन कर केन्द्रीय अधिनियम के तहत विक्रय पर करमुक्ति हेतु जारी प्रमाण–पत्रों को विधिक रूप से निरस्त किया गया था।

18. राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक क्रमशः 06.03.1978 (रा.बि.क.अ.); 06.03.1978 (के.बि.क.अ.); 16.8.1983; 27.03.1995 व 22.05.2003 को उद्धरित किया जाना उचित है, जो निम्न प्रकार हैं :–

S.No. 380 : F.4(21)FDGr.IV/78 dated 6.3.1978 (RST)

S.O.188.- In exercise of the powers conferred by S.4(2), RST Act, 1954, the Govt. of Rajasthan being of the opinion that it is expedient in the public interest so to do hereby cancels the following notfns issued in this behalf :-

(i) No.F.5(33)E&T/56 dated 30.4.1956;

(ii) No.F.5(77)E&T/57 dated 14.9.1956;

(iii) No.F.5(18)E&T/60 dated 3.10.1960;

(iv) No.F.5(37)FDCT/66-1 dated 31.12.1966;

(v) No.F.5(3) FDCT/66-2 dated 31.12.1966;

and hereby *exempts* from tax the sale or purchase of the undermentioned goods on the condition that the said goods are recorded in the R.C. of the dealer claiming exemption as being so exempted on the recommendation of the Khadi and Village Industries Commission constituted under the Khadi and Village Industries Commission Act of 1956 (Central Act 61 of 1956) or Rajasthan Khadi and Village Industries Board constituted under the Rajasthan Khadi and Village Industries Act, 1955 (Rajasthan Act 5 of 1955) :-

(1) Cotton punies, sliver, raw and processed wool, knitting wool and lefa;

(2) All carding, spinning, weaving, warping, sliver making, and hosiery making apparatus and appliances relating to the production of khadi or hosiery goods and spare parts of such apparatus and appliances, including saranjam, ambar charkha and spare parts thereof;

(3) Hand-spun and hand-woven khadi and yarns made of cotton, wool, silk or any other natural fibres of animal hair or of mixture of any two or all of them;

(4) Ready-made garments and other articles made of khadi including razais, gaddas, pillows and handbags and jerseys, sweaters, socks and hand-gloves made of handspun and hand-woven woolen yarn;

(5) The products of the village industries as defined in the Khadi and Village Industries Commission Act, 1956 (Central Act 61 of 1956) listed in the Schedule appended thereto :-

लगातार.....10

SCHEDULE

1. Beekeeping
2. Cottage Match Industry;
3. Cottage Pottery Industry;
4. Cottage Soap Industry;
5. Flying, curing and tanning of hides and skins and ancillary industries connected with the same and cottage leather industry;
6. Ghani Oil Industry;
7. Handmade paper;
8. Manufacture of cane-gur and Khandsari;
9. Palm-gur making and other palm products
10. Processing cereals and pulses;
11. Manufacture and use of manure and Methane gas from cowdug and other Waste products (such as flesh of dead Animals, night soil, etc.);
12. Lime manufacturing Industry;
13. Manufacture of shellac;
14. Collection of forest plants and fruits for medicinal purposes;
15. Fruit processing and fruit preservation;
16. Bamboo and can work;
17. Blacksmithy;
18. Carpentry;
19. Fibre other than coir;
20. Manufacture of household untensils in aluminium;
21. Manufacture of Katha; and
22. Manufacture of Gum resins.

Explanation.- For the purpose of this notfn "Khadi" means any cloth woven on handloom in India from cotton, silk or woolen or natural fibre of animal hair yarn hand-spun in India or from the mixture of any two or all of such yarns.

This shall have immediate effect.

S.No. 384 : F.4(21)FDGr.IV/78-6 dated 6.3.1978 (CST)

S.O.192.- In exercise of the powers conferred by S.8(5), CST Act, 1956, the State Gove. [.2.] hereby directs that no tax under the said Act shall be payable by any dealer having his place of business in the State who holds and exemption certificate without payment of any fee issued to him on the recommendation of the Khadi and Village Industries Commission constituted under the Khadi and Village Industries Commission Act, 1956 (Central Act 61 of 1956) or Rajasthan Khadi and Village Industries Board constituted under the Rajasthan Khadi and Village Industries Board Act, 1955 (Rajasthan Act 5 of 1955), in respect of the sale by him from any such place of business in the course of inter-State trade or commerce, of the goods specified in the list appended hereto:-

(1) Hand-spun and hand-woven Khadi and yarns made of cotton, wool, silk or any other natural fibres of animal hair or of mixture of any two or all of them;

(2) Ready-made garments and other articles made of khadi including razais, gaddas, pillows and handbags and jerseys, sweaters, socks and handgloves made of hand-spun and hand-woven woolen yarn;

लगातार.....11

(3) The products of the village industries as defined in the Khadi and Village Industries Commission Act, 1956 (Central Act 61 of 1956), listed in the Schedule appended hereto[1]:-

Explanation.- For the purpose of this notfn, "Khadi" means any cloth woven on handloom in India from cotton, silk or woolen or natural fibre of animal hair yarn hand-spun in India or from the mixture of any two or all of such yarns.

This shall have immediate effect.

S.No. 536 : F.4(56)FDGr.IV/82-6 dated 16.6.1983

S.O.71.- In exercise of the powers conferred by S.4(2), RST Act, 1954, and in supersession of this deptt. Notfn No. F.4(21)FDGr.IV/78-2 dated 6.3.1978 [S.No.380], the State Govt. [.1.] hereby exempts with immediate effect from tax the sale or purchase of the goods as mentioned in the Schedule below on the following conditions:-

1. That the said goods are recorded in the R.C. of the dealer claiming exemption.

2. That the recommendations of the Khadi and Village Industries Commission constituted under the Khadi and Village Industries Commission Act of 1956 (Central Act 61 of 1956) or Rajasthan Khadi and Village Industries Board constituted under the Rajasthan Khadi and Village Industries Board Act, 1955 (Rajasthan Act 5 of 1955) are produced before the concerning AA.

SCHEDULE

(1) Cotton punis, sliver, raw and processed wool, knitting wool and lefa;

(2) All carding, spinning, weaving, warping, sliver making and hosiery making apparatus and appliances relating to the production of Khadi or hosiery goods and spare parts of such apparatus and appliances, including saranjam, ambar charkha and spare parts thereof;

(3) Hand-spun and hand-woven khadi and yarns made of cotton, wool, silk or any other natural fibres of animal hair or of mixture of any two or all of them;

(4) Readymade garments and other articles made of Khadi including razais, gaddas, pillows and hand-bags and jerseys, sweaters, socks and hand-gloves made of hand spun and hand-woven woolen yarn;

(5) The products processed or manufactured in the State of the following village industries as defined in the Khadi and Village Industries Commission Act, 1956 (Central Act 61 of 1956) :-

लगातार.....12

1. Bee Keeping;
2. Cottage Match Industry;
3. Cottage Pottery Industry Excluding bricks;
4. [**]
5. Flaying, curing and tanning of hides and skins and ancillary Industries connected with the same and cottage leather industry;
6. Ghani Oil Industry;
7. Hand-made paper;
8. Manufacture of cane-gur and Khandsari;
9. Palm-fur making and other Palm products industry;
10. Processing cereals and pulses;
11. Manufacture and use of manure and methane gas from cowdung And other waste products (such As flesh of dead animals, night soil, etc.);
12. Manufacture of Shellac;
13. Collection of forest plants and fruits for medicinal purpose;
14. Fruit processing and fruit preservation;
15. Bamboo and cane work;
16. Black-smithy excluding iron And steel furniture;
17. Carpentry excluding wooden Furniture;
18. Fibre other than coir;
19. Manufacture of household utensils in aluminium;
20. Manufacture of Katha; and
21. Manufacture of gum resins,

Explanation.- For the purpose of this notfn, "Khadi" means any cloth woven on handloom in India from cotton, silk or woolen or natural fibre of animal hair yarn handspun in India or from the mixture of any two or all of such yarns;

This notfn did not allow exemption to (a) brick industry, (b) lime manufacturing industry, (c) manufacture of iron and of iron and steel furniture by the village blacksmithy industry, and (d) manufacture of wooden furniture by the village carpentry industry, which was allowed under the superseded notfn [S.No.380]. Under this new notfn exemption is available only to the products processed or manufactured within the State: it creates disrimination against imported goods.

S.No. 973 : F.4(11)FDGr.IV/95-54 dated 27.3.1995

S.O.404.- In exercise of the powers conferred by S.4(2), RST Act, 1954, and in supersession of all notfns issued in this behalf[1], the State Govt. [.1.] hereby exempts from tax with immediate effect, the **sale of products** manufactured in the State and sold by institutions, co-operative societies and individuals registered under the said Act and also with the **K.V.I.C.** constituted under the Khadi and Village Industries Commission Act, 1956 or the **R.K. & V.I. Board** constituted under the Rajasthan Khadi and village Industries Board Act, 1955, and in whose favour R,Cs. Have been issued by the authorities competent to do so, on the condition that their annual gross turnover does not exceed Rs. 30 lacs [2][for individuals [3][and Rs.two crores for others.] Where the annual turnover exceeds these limits], tax shall be levied only on the turnover in excess of such limits.

लगातार.....13

S.No. 1762 : F.4(38)FD/Tax Div/2000-44 dated 22.5.2003

S.O.- In exercise of the powers conferred by S.15, RST Act, 1994, and in supersession of this department notfn No. F.4(11)FD/Gr.IV/95-54 dated 27.3.1995 (as amended from time to time) [S.No.973], the State Gove., hereby exempts from sales tax with immediate effect, the sales of the products excluding soap, brick, Kota stone, marble and sand stone manufactured by an institution, cooperative societies and individuals registered under the said Act and also with the **K.V.I.C.** constituted under the Khadi and Village Industries Commission Act, 1956, and in whose favour certificate has been issued by the authorities competent to do so, on the condition that such exemption shall be available only on their annual gross turnover (excluding turnover of goods mentioned above) of rupees thirty lacs for individuals and rupees two crores for others. Where the annual turnover exceeds these limits, tax shall be levied only on the turnover in excess of such limits. The units already availing the benefits under the above superseded notfn, shall continue to avail the benefits under this notfn.

19. मेरे द्वारा उक्त तीनों आदेशों पर विचार किया जाना उचित है, क्योंकि माननीय कर बोर्ड के आदेश दिनांक 24.09.2005 में संशोधन हेतु जो उक्त आवेदन—पत्र प्रस्तुत किये गये हैं, उनमें कतिपय बिन्दुओं पर विचार नहीं होने का तर्क दिया गया है, जिसमें दिनांक 27.03.1995 एवं 22.05.2003 की अधिसूचनाओं को केन्द्रीय अधिनियम के तहत जारी होना मानते हुए निर्णीत किये जाने का आधार लिया गया है तथा माननीय कर बोर्ड के निर्णय को भी विवेचित किये बिना निर्णय किया गया है, जिस पर विचार किया जाना आवश्यक माना गया था। अतः इस बिन्दु पर भी पुनः विचार किया गया।

20. माननीय राजस्थान कर बोर्ड के निणय दिनांक 24.09.2005 में यह अवधारित किया गया है कि वाणिज्यिक कर अधिकारी द्वारा जो प्रमाण—पत्र जारी किये गये हैं, वे अपीलार्थीगण के के.वी.आई.सी. में पंजीकृत होने के आधार पर जारी किये गये हैं, जिसमें अधिनियम के तहत जारी प्रमाण—पत्रों में दिनांक 27.03.1995 की अधिसूचना का हवाला दिया गया है, परन्तु केन्द्रीय अधिनियम के तहत दिये गये प्रमाण—पत्रों में अधिसूचना का कोई हवाला नहीं दिया गया था। माननीय कर बोर्ड ने यह निर्णय किया कि केन्द्रीय अधिनियम के तहत जारी प्रमाण—पत्रों में हालांकि कोई अधिसूचना अंकित नहीं की गई है, परन्तु यह करमुक्ति प्रमाण—पत्र दिनांक 06.03.1978 के अन्तर्गत जारी किया जाना ही माना जा सकता है। परन्तु दिनांक 06.03.1978 की केन्द्रीय अधिनियम के तहत जारी अधिसूचना में जिन वस्तुओं की सूची दी गई, उसमें स्टोन ग्रिट डस्ट व सैण्ड स्टोन सम्मिलित नहीं थी एवं यह भी स्पष्ट कर दिया कि केन्द्रीय

लगातार.....14

अधिनियम के तहत जारी प्रमाण–पत्रों को दिनांक 27.03.1995 की अधिसूचना के तहत भी नहीं माना जा सकता, क्योंकि यह अधिसूचना राज्य के अधिनियम के तहत जारी की हुई थी, जिनका केन्द्रीय अधिनियम से कोई सम्बन्ध नहीं था।

21. माननीय राजस्थान कर बोर्ड ने यह अवधारित किया है कि ऐसा प्रमाण–पत्र जारी किया जाना विधिक भूल थी, जो कि संशोधित की जा सकती है एवं यह उल्लेख करना भी उचित है कि माननीय कर बोर्ड ने नियम 14 के सम्बन्ध में भी विस्तृत उल्लेख करते हुए यह अवधारित किया है कि चूंकि केन्द्रीय अधिनियम के तहत करमुक्ति प्रदान नहीं की जा सकती थी, अतः नियम 14 के अन्तर्गत गलती से जारी प्रमाण–पत्र को निरस्त किया जा सकता था एवं त्रुटिपूर्ण जारी प्रमाण–पत्रों को निरस्त करने के लिये आदेश पारित किया जाना विधिसम्मत मानते हुए अपीलीय अधिकारी एवं कर निर्धारण अधिकारी के आदेशों की पुष्टि की गयी थी।

22. मेरे समक्ष चूंकि उक्त आदेश में कुछ बिन्दुओं पर विवेचना नहीं होना मानते हुए पुनः सुनवाई किये जाने का निर्णय लिया जा चुका है, अतः विद्वान अभिभाषक द्वारा जिन मुद्दों पर दिनांक 24.09.2005 में विवेचन नहीं किया गया है, उन पर विचार किया गया। विद्वान अभिभाषक का प्रथम कथन यह है कि केन्द्रीय अधिनियम के तहत भी करमुक्ति अपीलार्थीगण को प्राप्त थी, जिसके आधार पर अधिनियम के तहत जारी अधिसूचना दिनांक 27.03.1995 एवं 22.05.2003 को आधार माना गया है। मेरे द्वारा राज्य के भीतर करमुक्ति प्रदान करने हेतु जारी अधिसूचना का अध्ययन किया गया। इस सम्बन्ध में प्रथम अधिसूचना दिनांक 06.03.1978 को जारी की गयी थी, जिसमें राज्य के भीतर करमुक्ति प्रदान करने हेतु एक अधिसूचना धारा 4(2) के तहत जारी की गयी थी एवं केन्द्रीय अधिनियम की धारा 8(5) के तहत भी अलग अधिसूचना जारी की गयी थी, क्योंकि दोनों ही अधिनियम पृथक–पृथक अधिनियम हैं एवं किसी भी अधिनियम में किसी भी तरह का लाभ देना या अन्य किसी भी तरह का संशोधन करने हेतु अलग–अलग अधिसूचनाएं ही जारी की जा सकती हैं।

23. उक्तानुसार राज्य सरकार द्वारा दिनांक 06.03.1978 को दोनों ही अधिनियमों में जो अधिसूचनायें जारी की गयी थी, उसमें दो शर्तें थीं, (1) कि कोई भी निर्माणकर्ता इकाई के.वी.आई.सी. के तहत पंजीकृत हो, एवं (2) वह उत्पाद उसके पंजीयन प्रमाण–पत्र में इन्द्राजित किया हुआ हो।

24. इन दोनों ही अधिसूचनाओं में विशिष्ठ वस्तुओं की सूची दी गयी थी, जिन पर ही करमुक्ति दी जा सकती थी।

लगातार.....15

25. केन्द्रीय अधिनियम एवं राज्य के अधिनियम के तहत उपरोक्त दोनों अधिसूचनाओं का मेरे द्वारा बारीकी से अध्ययन कर तुलना की गयी, तब यह पाया कि राज्य के राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1954 की धारा 4(2) के तहत जारी अधिसूचना में जो वस्तुओं की सूची दी गयी थी, उसमें 5 प्रविष्ठियां थीं, जिसमें क्रम संख्या (1), (2), (3), (4) व (5) दर्ज की हुई हैं। क्रम संख्या 5 में यह अंकित है कि के.वी.आई.सी. के तहत पंजीकृत इकाईयों की केवल संलग्न शेड्यूल में दी गई वस्तुओं पर करमुक्ति का लाभ प्रदान होगा, जबकि इसी दिन जारी केन्द्रीय अधिनियम की धारा 8(5) के तहत जारी अधिसूचना में केवल 3 बिन्दु दिये गये थे, जिनकी तुलना करने पर पाया कि राज्य के अधिनियम में अंकित प्रथम बिन्दु, जिसमें Cotton Punies तथा बिन्दु संख्या 2 में दी गई वस्तु All Carding Spinning जैसी वस्तु केन्द्रीय अधिसूचना में नहीं रखी गयी है अर्थात् केन्द्रीय अधिनियम के तहत विक्रय होने वाली उक्त दो श्रेणियों की वस्तुओं को करमुक्ति प्रदान नहीं की गयी थी एवं अन्य तीन बिन्दुओं के तहत दी गयी वस्तुएं हुबहु थी। इस तरह केन्द्रीय अधिनियम में तीन बिन्दुओं में ही वस्तुओं को करमुक्त किया गया था।

26. उक्त तुलना करने के पीछे मुख्य उद्देश्य यह है कि राज्य के भीतर एवं अन्तर्राज्यीय व्यापार के क्रम में जो अलग—अलग अधिसूचनायें जारी की गयी थी, वे प्रारम्भ से ही पृथक—पृथक थी। यहां तक कि राज्य के भीतर विक्रय के लिये कुछ अधिक वस्तुओं को करमुक्ति का लाभ प्रदान किया गया था, जो कि अधिसूचनाओं के अवलोकन से स्पष्ट था। इस तरह इन अधिसूचनाओं के तहत पात्र इकाईयों को जो कि के.वी.आई.सी. के तहत पंजीकृत हैं, उन्हें अधिसूचनाओं में अंकित वस्तुओं पर करमुक्ति प्राप्त थी। इन दोनों ही अधिसूचनाओं में प्रत्येक वस्तु के अंकन के अवलोकन पर यह स्पष्ट है कि इन दोनों ही अधिसूचनाओं में अपीलार्थीगण के द्वारा निर्मित की जाने वाली वस्तु स्टोन डस्ट एवं ग्रिट सम्मिलित नहीं की हुई थी। ऐसी स्थिति में इन दोनों ही अधिसूचनाओं में कोई करमुक्ति अपीलार्थीगण के उत्पादों के सम्बन्ध में अनुज्ञेय नहीं थी।

27. उक्त अधिसूचनाओं की पृष्ठभूमि में अध्ययन करने पर यह तथ्य आया कि राज्य सरकार द्वारा जो कि किसी राज्य के भीतर राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1954 की धारा 4(2) के तहत एवं केन्द्रीय अधिनियम की धारा 8(5) के तहत किसी भी वस्तु पर करमुक्ति प्रदान करने के लिये अधिकृत है, एवं उसी के तहत यह करमुक्ति प्रदान की हुई थी। कालान्तर में राज्य सरकार

लगातार.....16

द्वारा जनहित में राज्य के भीतर किये जाने वाले विक्रय हेतु अधिसूचित वस्तुओं में विस्तार प्रदान करते हुए दिनांक 06.08.1983 / 27.03.1995 में खादी एवं ग्रामोद्योग इकाईयों के द्वारा उत्पादित की जाने वाली सभी वस्तुओं के क्रय–विक्रय पर करमुक्ति प्रदान कर दी गयी, परन्तु राज्य के भीतर के विक्रय में अलग–अलग श्रेणियों के व्यवसायियों के लिये अलग–अलग टर्नओवर की सीमा भी निर्धारित की गई है। इसके पश्चात दिनांक 22.03.2005 को पुनः अधिनियम की धारा 15 के तहत अधिसूचना जारी कर के.वी.आई.सी. की इकाईयों में साबुन, ईंट, कोटा स्टोन, मार्बल एवं सैण्ड स्टोन के उत्पादों के अलावा सभी तरह के उत्पादों को करमुक्ति प्रदान की गई है, जिसमें पुनः टर्नओवर की भी सीमा रखी गयी एवं उस सीमा के बाद के टर्नओवर पर कर आरोपणीय माना गया। इस अधिसूचना में यह भी अंकित किया गया था कि पूर्व में यदि कोई इकाई इसी क्रम में जारी अधिसूचनाओं में कोई लाभ प्राप्त कर रही है तो वह जारी रहेगा।

28. उपरोक्त जारी अधिसूचनाओं से यह स्पष्ट होता है कि राज्य सरकार द्वारा दिनांक 06.03.1978 को राज्य के भीतर के विक्रय के लिये अधिनियम, 1954 की धारा 4(2) के तहत जो करमुक्ति प्रदान की गई थी, उनमें स्टोन ग्रिट एवं डस्ट सम्मिलित नहीं थे, परन्तु बाद की अधिसूचनायें दिनांक 27.03.1995 व 22.05.2003 में लगभग सभी वस्तुओं पर करमुक्ति का लाभ प्रदान किया गया, जिससे कि इन अपीलार्थीगण की वस्तुएं भी स्वतः सम्मिलित हो गयी।

29. इसके विपरीत राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय अधिनियम की धारा 8(5) के तहत उल्लेखित इकाईयों एवं उत्पादों को अन्तर्राज्यीय विक्रय पर जो करमुक्ति प्रदान की गयी थी, उसमें किसी भी तरह का परिवर्तन किये जाने की कोई मंशा नहीं होने से कालान्तर में किसी भी तरह की अधिसूचना जारी नहीं की गई थी, जिससे कि विधिक रूप से दिनांक 06.03.1978 की अधिसूचना में प्रदत्त शर्तों के अधीन उल्लेखित वस्तुओं को ही करमुक्ति लगातार प्राप्त होती रही है, परन्तु उस अधिसूचना में स्टोन ग्रिट एवं डस्ट सम्मिलित नहीं होने से इस उत्पाद पर करमुक्ति प्रदान नहीं की जा सकती थी।

30. उक्त विधिक पृष्ठभूमि में यह स्पष्ट था कि अपीलार्थीगण का उत्पाद राज्य सरकार द्वारा किसी भी समय 'अन्तर्राज्यीय विक्रय' के मामले में करमुक्ति की पात्रता नहीं रखता था, परन्तु किसी अधिकारी ने त्रुटि से (Erroneouslly) केवल राज्य की अधिसूचनाओं को मस्तिष्क में रखते हुए अन्तर्राज्यीय विक्रय में भी करमुक्ति प्रमाण–पत्र जारी कर दिये जो कि मात्र एक त्रुटि थी एवं जो

लगातार.....17

मुक्ति राज्य सरकार द्वारा नहीं दी गयी है, उसे राज्य का कोई अधिकारी अपने स्तर पर प्रदान नहीं कर सकता एवं ऐसी त्रुटि हो जाने पर उस त्रुटि को दुरूस्त किया जाना आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य था एवं इसी परिप्रेक्ष्य में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा दिनांक 05.11.2004 को त्रुटिपूर्ण जारी प्रमाण—पत्रों को प्रारम्भ से ही Null & Void होने से निरस्त किया गया है, जिसमें किसी तरह की अवैधानिकता नहीं है, बल्कि यह कहना उचित होगा कि किसी अधिकारी द्वारा अवैधानिक प्रमाण—पत्र को जारी रखना अविधिक होता एवं उस त्रुटि को अधिनियम की धारा 37 के तहत आदेश पारित कर संशोधित किया जाना पूर्णतया विधिसम्मत है।

31. उक्त विधिक अधिसूचनाओं के अन्तर्गत अपीलार्थीगण द्वारा यह मांग की जा रही थी कि किसी प्रमाण—पत्र को एक बार जारी करने के पश्चात् उसे संशोधित नहीं किया जा सकता। अपीलार्थीगण का यह तर्क है कि विवादित संशोधन किया जाना धारा 37 की परिधि में नहीं आता है, क्योंकि ऐसा किया जाना तथ्यों की पुनः विवेचना है। यह तर्क पूर्णतया अस्वीकार योग्य है क्योंकि बिना किसी अधिसूचना के ही त्रुटि से पात्रता दे दिया जाना केवल त्रुटि (error) है न कि यह Reappreciation of facts का मामला है। गलती से जारी किये गये करमुक्ति प्रमाण—पत्रों को किसी भी स्थिति में निरन्तर नहीं रखा जा सकता क्योंकि किसी अधिसूचना द्वारा किसी तरह की करमुक्ति इन अपीलार्थीगण को केन्द्रीय अधिनियम के तहत प्राप्त नहीं थी। ऐसी स्थिति में किसी कर निर्धारण अधिकारी द्वारा की गई त्रुटि मात्र से राज्य के कर से मुक्ति नहीं दी जा सकती, क्योंकि यह अधिकार राज्य सरकार के पास है, ना कि वाणिज्यिक कर अधिकारी के पास। इस तरह प्रारम्भ से ही विधिशून्य प्रमाण—पत्रों को किसी भी हालत में विधिकता प्रदान नहीं की जा सकती।

32. अपीलार्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने संशोधन प्रार्थना—पत्रों में वे भी आधार एवं तथ्य रखे हैं, जो कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष भी रखे गये थे एवं अपीलीय अधिकारी के समक्ष भी रखे गये थे, जिसमें अधिसूचनाओं का लागू नहीं करना, नियम 14 को विवेचित नहीं करना एवं उनके द्वारा संशोधन किये जाने से प्रतिबन्धित करने सम्बन्धी माननीय कर बोर्ड के निर्णय सम्मिलित हैं। इन सभी निर्णयों पर मेरे द्वारा विचार किया गया। प्रथमतः संशोधन करने की अधिकारिता पर जो प्रश्नचिन्ह प्रस्तुत किया है, उसपर विचार किया गया। अपीलार्थीगण का यह तर्क है कि एक बार प्रमाण—पत्र जारी करने के बाद वह माननीय न्यायालयों के निर्णयों के परिप्रेक्ष्य में परिशोधनीय नहीं है, क्योंकि यह तथ्यों की पुनः विवेचना है। इस सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय के

लगातार.....18

न्यायिक दृष्टान्त **(2011) 29 टैक्स अपडेट 253 सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम मैसर्स मक्कड़ प्लास्टिक एजेन्सीज** को यहां उद्धरित करते हुए यह उल्लेख किया जाता है कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी यह माना है कि संशोधन के तहत Reappreciation of facts अनुमत नहीं है, परन्तु मात्र किसी Error को सुधार किया जा सकता है। इन अपीलार्थीगण के समस्त मामलों में Reappreciation of facts का कोई मामला नहीं है, बल्कि केवल Error का मामला है, जो कि ऊपर पूरी तरह विवेचना की गई है कि वह Error क्या है। उक्त निर्णय के पैरा 18 में माननीय न्यायालय द्वारा निम्न व्यवस्था दी गयी है :–

> 18. Section 37 of the Act of 1994 provides for a power to rectify any mistake apparent on the record. Such power is vested on the authority to rectify an obvious mistake which is apparent on the face of the records and for which a re-appreciation of the entire records is neither possible nor called for. When the subsequent order dated 22.01.2009 passed by the Taxation Board is analysed and scrutinised it would be clear/apparent that the Taxation Board while passing that order exceeded its jurisdiction by re-appreciating the evidence on record and holding that there was no malafide intention on the part of assessee-respondent for tax evasion. Such re-appreciation of the evidence to come to a contrary finding was not available under Section 37 of the Act of 1994 while exercising the power of rectification of error apparent on the face of the records.

33. चूंकि अपीलार्थीगण के समस्त मामले Error से सम्बन्धित हैं और किसी Error को संशोधित नहीं करना केवल Error को बनाये रखना होगा, इन प्रकरणों में Reappreciation of facts नहीं है।

34. विद्वान अभिभाषक द्वारा संशोधन हेतु प्रस्तुत प्रार्थना–पत्रों में माननीय राजस्थान कर बोर्ड के उद्धरित न्यायिक दृष्टान्त **मैसर्स पैनार इण्डस्ट्रीज** से सम्बन्धित निर्णय का भी अध्ययन किया गया, जिसमें नियम 14 के प्रावधान के तहत मुक्ति प्रमाण–पत्रों के सम्बन्ध में विवेचना की हुई है। इस निर्णय में यह बिन्दु था कि दिनांक 28.04.1993 की अधिसूचना के तहत जो शब्दावली प्रयुक्त की गई थी, उसमें "Relating to" शब्द का क्या अर्थ है, उस पर विवेचना की गयी थी एवं उस विवेचना में पुनः विवेचना करते हुए पुनरावलोकन किया गया, जो Reappreciation of facts था तथा ऐसे मामले में नियम 14 के बारे में व्याख्या प्रदान की, जिसमें नियम 14 में किन परिस्थितियों में किसी प्रमाण–पत्र को निरस्त किये जाने के अधिकार सम्बन्धी व्याख्या की गई थी। जबकि अपीलार्थीगण के इन मामलों में मूल रूप से प्रमाण–पत्रों को बिना किसी

लगातार.....19

प्रावधान के ही त्रुटिपूर्ण जारी किया गया है, जिसकी विवेचना का कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता क्योंकि विवेचना तब की जा सकती थी जब किसी अधिसूचना में किन्हीं शब्दों में कोई संशय होने पर उस पर कोई निर्णय दिया जा सके। अपीलार्थीगण के इस विवाद में जब उनकी वस्तु केन्द्रीय अधिसूचना में सम्मिलित ही नहीं थी तो उसमें विवेचना का कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है और यह उल्लेख करना उचित होगा कि अपीलार्थीगण को राज्य के भीतर के विक्रयों पर भी दिनांक 27.03.1995 की अधिसूचना में इनके उत्पादों को सम्मिलित करने से करमुक्ति प्राप्त हुई थी और कर निर्धारण अधिकारी द्वारा बिना किसी विवाद के सीधे करमुक्ति प्रमाण–पत्र जारी किये गये थे। अपीलार्थीगण का यह कथन कि राज्य के अधिनियम के तहत जारी अधिसूचनाओं को केन्द्रीय अधिनियम के तहत भी अधिसूचना जारी होना मान लिया जावे, अनुचित एवं अतार्किक है।

35. विद्वान अभिभाषक द्वारा माननीय राजस्थान कर बोर्ड के **मैसर्स पैनार इण्डस्ट्रीज** का जो दृष्टान्त प्रस्तुत किया गया है वह पूरी तरह असम्बद्ध प्रकरण था।

36. किसी भी व्यवहारी को करमुक्ति प्रदान करने के मामलों में माननीय उच्चतम न्यायालय ने **नोवोपेन इण्डिया लिमिटेड बनाम कलेक्टर ऑफ सेंट्रल एक्साईज एण्ड कस्टम्स 1994 Supp. (3) S.C.C. 606** में करमुक्ति प्रदान करने के सम्बन्ध में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि –

> "A person invoking an exception or an exemption provision to relieve him of the tax liability must establish clearly that he is covered by the said provision. In case of doubt or ambiguity, benefit of it must go to the revenue."

माननीय उच्चतम न्यायालय ने उक्त निर्णय को बाद में **सेंट्रल एक्साईज बनाम हरिचन्द श्री गोपाल (2011) 1 एस.सी.सी. 236** एवं **स्टेट ऑफ गुजरात बनाम एस्सार ऑयल लिमिटेड (2012) 3 एस.सी.सी. 522** में भी पुनः उल्लेखित कर यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि करमुक्ति प्राप्त करने के मामले में यह संदेह से परे सिद्ध करना आवश्यक है कि वह किसी प्रावधान में स्पष्ट रूप से पात्र है।

37. हाल ही में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय **सिटीमैक्स होटल्स (इण्डिया) प्रा0 लि0 बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन जोन–प्रथम, जयपुर 43 टैक्स अपडेट 61** में भी उक्त प्रतिपादित सिद्धान्त को अनुगमन करते हुए निर्णय दिया गया है।

लगातार.....20

38. इस तरह अपीलार्थीगण की अपीलों से सम्बन्धित जो निर्णय अपीलीय अधिकारी एवं बाद में माननीय राजस्थान कर बोर्ड की एकलपीठ के निर्णय दिनांक 24.09.2005 में लिया गया है, वह पूर्णतया विधिसम्मत था एंव किसी भी तरह की उसमें त्रुटि नहीं रही है। यहां यह उल्लेख करना भी आवश्यक समझता हूं कि माननीय एकलपीठ ने दिनांक 24.09.2005 को जो आदेश पारित किया था, वह भी पूर्ण विवेचित आदेश था और उसमें पूर्ण विश्लेषण के साथ निर्णय दिया गया था।

39. उक्तानुसार अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत सभी अपीलें अस्वीकार की जाती हैं। इस निर्णय की प्रति अपील संख्या 99/2005/भरतपुर एवं 100/2005/भरतपुर में भी रखी जावे।

40. निर्णय सुनाया गया।

(के. एल. जैन)
सदस्य